



कार्यालय-परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती।

वैबसाइट-www.wmduk.gov.in ई-मेल-pdrishikesh@gmail.com

पत्रांक 602 / 26-22 / 2020-21 / मुनिकीरेती,

दिनांक 04 / 12 / 2020.


“अल्पकालीन निविदा सूचना”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों में पायलट/प्रदर्शन मद में वर्ष 2020-21 में परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन कार्य पॉली हाउस स्थापना, सामग्री सहित किया जाना है। इस हेतु दिनांक 24.12.2020 के अपराह्न 1.00 बजे तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक/कोरियर से आमंत्रित की जाती हैं जो कि उसी तिथि को अपराह्न 1:30 बजे प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता यदि चाहें तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। अलग-अलग प्रभाग हेतु अलग-अलग निविदाएं दी जानी है।

निविदा प्रपत्र, निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 08.12.2020 से 22.12.2020 तक सायं 5:00 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में अधोहस्ताक्षरी के “कार्यालय परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल” के भण्डार कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा निविदा प्रपत्र जलागम प्रबन्ध निदेशालय की बैब साईट (www.wmduk.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की धनराशि पदनाम से परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती के नाम बैंक ड्राफ्ट/FDR बनाकर निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी

निविदादाता निविदा पत्र के साथ संलग्न प्रारूप Section-B में अपनी दरे अंकित करेंगे।


क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	निविदा मात्रा व मूल्य	धरोहर राशि	कार्य अवधि	कार्यस्थल
1	जी0आई0 पाईप से निर्मित 100 वर्ग मीटर पॉली हाउस का विभिन्न पंचायतों में सप्लाई एवं स्थापना	10	1000 + GST 18%	28,000.00	1 माह	उत्तरकाशी-प्रभाग की विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न ग्रामों में।
2	जी0आई0 पाईप से निर्मित 100 वर्गमीटर पॉली हाउस का विभिन्न ग्राम पंचायतों में सप्लाई व स्थापना	10	1000 + GST 18%	28,000.00	1 माह	टिहरी-प्रभाग की विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न ग्रामों में।
3	जी0आई0 पाईप से निर्मित 100 वर्गमीटर पॉली हाउस का विभिन्न ग्राम पंचायतों में सप्लाई व स्थापना	18	1000 + GST 18%	50,400.00	1 माह	फेज-2, पौड़ी-प्रभाग, पौड़ी की विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न ग्रामों में।


परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्धन,
गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती।

सीलबन्द निविदा निम्न प्रतिबन्धों व शर्तों के साथ आमंत्रित है :-

1. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. पॉली हाउस सामग्री एवं स्थापना हेतु निविदा नोटिस के अनुसार (ड्राइंग एवं विवरण संलग्न है)।
3. सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना विभिन्न प्रभागों के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रभागीय कार्यालय से अधिकतम 90 किमी० की दूरी तक करना होगा।
4. पॉली हाउस का निर्माण जी० आई पाईप (संलग्न ड्राइंग एवं विवरण के अनुसार) द्वारा किया जाना है।
5. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोधर धनराशि उत्तरकाशी-प्रभाग हेतु रू० 28,000/-, टिहरी-प्रभाग हेतु 28,000/- एवं फेज-2, पौड़ी-प्रभाग हेतु रू० 50,400/- की FDR/CDR जो कि परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती के नाम बन्धक हो संलग्न की जानी होगी।
6. अधोहस्ताक्षरी को कोई भी निविदा या सभी निविदा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. निविदा की वैधता – निविदा खोले जाने के 45 दिन तक होगी।
8. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2021 तक वैध रहेगी।
9. आपूर्ति आदेशकर्ता द्वारा पूर्ण भुगतान करने के पश्चात भी यदि किसी शासकीय कर की कटौती अवशेष रह जाती है तो सफल निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि अवशेष शासकीय कर को नियमानुसार भुगतान कर दें।
10. यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश हो तो अगली तिथि को निविदा खोली जायेगी।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होंगे।
12. निविदा लिफाफे के ऊपर “निविदा पॉली हाउस” लिखना अनिवार्य है।
13. अधोहस्ताक्षरी/उप परियोजना निदेशक स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश देने के लिए वाध्य नहीं होगा।
14. कार्यादेश – उप परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्लू०डी०पी०-2, प्रभाग-उत्तरकाशी, उप परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्लू०डी०पी०-2, प्रभाग टिहरी एवं फेज-2, पौड़ी-प्रभाग, पौड़ी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। जिसमें उनके द्वारा पॉलीहाउस स्थापना हेतु लाभार्थी सूची ग्राम का विवरण कार्यादेश के साथ उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
15. पॉली हाउस स्थापना के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
16. सामग्री की मात्रा घट-बढ़ सकती है।
17. सामग्री की कुल लागत का भुगतान परियोजना अंश उप परियोजना निदेशक द्वारा किया जायेगा एवं लाभार्थी अंश चयनित लाभार्थियों द्वारा नगद आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान किया जायेगा।
18. सामग्री आपूर्ति एवं स्थापना कार्यादेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर करनी होगी।
19. सफलतम निविदादाता को जमानत राशि के रूप में 10 प्रतिशत की धनराशि FDR/CDR के रूप में आपूर्ति आदेशकर्ता के पास बंधक के रूप में रखनी होगी, जो कि कार्यस्थापना के छः माह उपरान्त कार्य संतोषजनक रहने पर वापस की जायेगी।
20. निविदादाता फर्म को जी०एस०टी० आदि योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकरण होना आवश्यक है, तथा निविदा के साथ जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
21. उक्त निविदा में विवाद होने की दशा में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम मान्य होगा।
22. ड्राइंग एवं स्पेसिफिकेशन किसी भी कार्यालय दिवस में अधोहस्ताक्षरी अथवा उप परियोजना निदेशक कार्यालयों में देखे जा सकते हैं।
23. निविदादाता को विगत 3 वर्षों की बैलेंसशीट संलग्न करनी होगी जिसमें प्रत्येक वर्ष में कम से कम रू० 50 लाख का टर्न ओवर हो।

संलग्नक : पॉलीहाउस की ड्राइंग एवं विवरण।


परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्धन,
गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती।

पत्रांक / 2020-21 / मुनिकीरेती / दिनांकित ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 2- परियोजना निदेशक, ग्राम्या-2, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3- उप परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्लू0डी0पी0-2, टिहरी/उत्तरकाशी/पौड़ी/देहरादून/पी0एम0यू0 देहरादून एवं आई0एल0एस0पी0 पौड़ी प्रभाग ।
- 4- टीम लीडर, पी0एन0जी0ओ0, रूद्रप्रयाग ।
- 5- भण्डार सहायक/लेखाकार, मुख्यालय ।
- 6- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ।



परियोजना निदेशक
जलागम प्रबन्धन,
गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती ।